न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
121/2013 दावा	10.07.2013	19.5.2026
79/2013 टी0आई0	10.07.2013	
हनुमान प्रसाद शर्मा	बनाम	श्यामलाल वगैरा

दावा बावत् घोषणा खातेदारी एंव स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 एवं
प्रार्थना पत्र धारा 11 सी0पी0सी0

उपस्थितः– श्री भानु कुमार सिंघल, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 3, 4, 5 की ओर से
श्री शिवकुमार शर्मा, एड. प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/5 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 श्रीमती कैली, श्रीमती ज्ञानी देवी, श्रीमती ललिता की ओर से दिनांक 31.1.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध मे एक अन्य वाद विवादित खसरा नम्बरान के सम्बन्ध मे हनुमान बनाम श्यामलाल के नाम से निर्णित किया जा चुका है। जिसकी अपील माननीय राजस्व न्यायालय सवाई माधोपुर के यहॉ विचाराधीन है। जब अदालत हाजा द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध मे पूर्व मे ही दावा निर्णित किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति मे उन्ही बिन्दुओं के आधार पर अदालत हाजा को दूसरे दावे मे सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त नही है। यह दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्जूडीकेटा से बाधित होने के कारण खारिज होने योग्य है। अतः यह दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

इसी प्रकार का एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण गोविन्द प्रसाद वगैरा की ओर से धारा 11 सीपीसी के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त वाद वादी हनुमान प्रसाद द्वारा तथ्यो को छुपाते हुए प्रस्तुत किया गया है। वादी का एक वाद न्यायालय उप जिला कलक्टर गंगापुर सिटी के यहॉ उनवानी हनुमान बनाम श्यामलाल वगैरा प्रकरण संख्या 79/2005 प्रस्तुत किया था जो दिनांक 28.9.2008 को निर्णित हो चुका है। जिसमे वादी हनुमान का वाद खारिज किया गया है। अदालत हाजा मे विचाराधीन वाद व पूर्व मे निर्णित वाद की विषय वस्तु, पक्षकारान एक समान है एवं जिस आधार पर वादी यह वाद न्यायालय मे लेकर आया है। उसी आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व मे प्रकरण संख्या 79/2005 निर्णित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे वादी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

का यह दूसरा वाद माननीय न्यायालय मे विचाराधीन नही होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के जबाब में वादी ने अंकित किया है कि पूर्व मे निर्णित प्रकरण अलग अनुतोष के लिए था एवं मौजूदा प्रकरण अलग अनुतोष के लिए है तथा पूर्व प्रकरण मे दर0 देहान्दा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 पक्षकार भी नही थे तथा दोनो प्रकरणों मे वाद कारण भी भिन्न है। प्रकरण मे प्रतिवादीगण ने स्वयं ने यह लिखा है कि प्रकरण अभी आर. ए.ए. सवाई माधोपुर मे विचाराधीन है जबकि रेस्जूडीकेटा समान पक्षकारान मे समान अनुतोष के लिए समान वाद कारण पर प्रकरण का अंतिम रूप से निपटारा हो जाने पर लागू होता है। पूर्व दावे की अपील अभी लम्बित है तो मौजूदा दावा रेस्जूडीकेटा से बाधित होने का कोई प्रश्न नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी का वादी की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया है।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 एवं प्रार्थना पत्र धारा 11 सी0पी0सी0 पर उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 के विद्धान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य पूर्व में वाद संख्या 79/2005 उनवानी हनुमान प्रसाद बनाम श्यामलाल वगैरा इसी न्यायालय में चल कर दिनांक 8.9.2008 को निर्णय हो चुका है। जिसके अनुसार वादी का वाद खारिज किया जाकर भूमि ख0नं0 73, 110, 113, 509, 650 ग्राम बामनबडौदा की खातेदारी श्यामलाल, किरोडीलाल पि0 घासीलाल ब्राह्मण के नाम ही रखने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार जब हस्तगत वाद में वर्णित खसरा नम्बरों व पक्षकारों के मध्य वाद चलकर निर्णित हो चुका है तो अब वर्तमान वाद में कार्यवाही रेस्जूडीकेटा है । अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार फरमाई जाकर हस्तगत वाद में कार्यवाही इसी स्टेज पर समाप्त की जावे।

प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 के विद्धान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र 11 सी0पी0सी0 के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वर्तमान वाद में वर्णित भूमि, पक्षकारों के मध्य पूर्व में वाद चलकर दिनांक 8.9.2008 को निर्णित हो चुका है। इसलिए अब उन्हीं नम्बरों व पक्षकारों को लेकर वादी की ओर से प्रस्तुत यह वाद धारा 11 सी0पी0सी0 के तहत रेस्जूडीकेटा की श्रेणी में है। इसलिए प्रस्तुत वाद में कार्यवाही समाप्त की जावे।

वादी के विद्धान अभिभाषक ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि पक्षकारों के मध्य पूर्व में चला वाद अभी अन्तिम रूप से निर्णित नहीं हुआ है। इसके अलावा पूर्व के वाद में तथा वर्तमान वाद में

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

पक्षकारान समान नहीं है व चाही गई रिलीफ भी समान नहीं है। इसलिए इस प्रकरण पर रेस्जूडीकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। अतः प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्र खारिज फरमाए जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की पत्रावली संख्या 79/2013 पर उपलब्ध फोटोकॉपी नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 11.9.2008 मुकदमा संख्या 79/2005 उनवानी हनुमान प्रसाद बनाम श्यामलाल वगैरा न्यायालय उप जिला कलक्टर गंगापुर सिटी के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि ख0न0 73, 110, 113, 509, 650 ग्राम बामन बडौदा को लेकर घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज, तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद चला था। जो उपरोक्त वर्णित आदेश अनुसार खारिज किया गया है तथा भूमि प्रतिवादी श्यामलाल व किरोडीलाल के नाम यथावत रखी गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का भूमि ख0न0 73, 110, 113, 509, 650 ग्राम बामन बडौदा को लेकर है। इस प्रकार जब पक्षकारों के मध्य पूर्व मे समान खसरा नम्बरों को लेकर वाद चलकर निर्णित हो चुका है तो वादी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान वाद धारा 11 सीपीसी के तहत रेस्जूडीकेटा की श्रेणी मे आता है एवं वाद चलने योग्य नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 श्रीमती कैली, श्रीमती ज्ञानी देवी, श्रीमती ललिता की ओर से दिनांक 31.1.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/5 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 सीपीसी स्वीकार किये जाकर वाद संख्या 121/2013 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 79/2013 उनवानी हनुमान प्रसाद बनाम श्यामलाल वगैरा मे कार्यवाही वर्तमान स्टेज पर समाप्त की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.5.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) गंगापुर सिटी (स०मा०) सत्यमेव जयते

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)